# राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 212 मार्च 2017

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

## *सम्पादकीय*

8 मार्च, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा अवसर है जिसे समूचे विश्व में महिला समूहों द्वारा मनाया जाता है। सभी महाद्वीपों की महिलाएं जो अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं और जातीय, भाषायी, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताओं से विभाजित होती हैं, इस दिवस को एकता के रूप में मनाती हैं। वे अतीत में एक ऐसी परंपरा को देखती हैं जो बराबरी, न्याय, शान्ति और विकास के लिए दशकों के संघर्ष को दिखाती है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साधारण महिलाओं के इतिहास सृजित करने वालों की कहानी है। यह महिलाओं की पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर समाज में भाग लेने की शताब्दी पुरानी संघर्ष से जुड़ी है

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विचार सबसे पहले 19वीं शताबदी के आरम्भ में हुआ जो औद्योगिक विश्व में विस्तार और उथल-पुथल का समय था, जिसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई और नवीन विचारधाराओं ने जन्म लिया। उन शुरूआत के वर्षों से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने समान रूप से विकसित और विकासशील देशों में एक नया आयाम धारण किया। बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन ने, जिसे वैश्विक संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन से बल मिला है, महिलाओं के अधिकारों की और राजनैतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की मांग करने के समन्वित प्रयासों के लिए इस स्मृति दिवस को एकत्र होने का स्थान बनाने में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अब तक हुई प्रगति पर विचार करने, परिवर्तन की मांग करने और उन साधारण महिलाओं के साहसपूर्ण कार्यो और दृढ़ निश्चय का सम्मान करने के लिए, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के इतिहास में असाधारण भूमिका निभायी है, मनाया जाता है।

इस प्रकार जहां एक बार महिलाओं ने महिला-पुरुष बराबरी को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल करने के लिए लड़ाई लड़ी, महिला बराबरी अब उस एजेंडे को रूप देने के लिए एक मुख्य कारक बन गई है। अनेक देशों में लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना मानव अधिकार का उपयोग की गारंटी देने वाले प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया अथवा विधायी सुधारों में रखा गया है। भेदभाव करने वाले कानूनी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है और महिलाओं को उनके प्रति जागरूक करने के लिए कानूनी साक्षरता और अन्य उपायों को आरम्भ किया गया है।

**चर्चा में | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस**

फिर भी, अभी बहुत कुछ किया जाना है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 69 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद, अनेक कानूनों के होने के बावजूद भारत में महिलाएं अपने आपको बेड़ियों में बंधी पाती हैं। महिलाओं की निर्धनता, विशेषकर, परिवारों के प्रमुखों की बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत अधिक है। यद्यपि, जनसंख्या में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है, रोजगार में लगे कामगारों में उनकी संख्या केवल एक चौथाई है। उनको अभी भी बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज मांग, भ्रूण हत्या, बलात्कार और स्वास्थ्य देखभाल के अपर्याप्त प्रावधानों के कारण अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है।

यह स्थिति भयावह है और उसी तरह का हस्तक्षेप करने की मांग करती है। हमें अधिक संख्या में अपनी लड़कियों को स्कूलों में दाखिला देना है और उन्हें बेहतर शिक्षा देनी है न कि उन्हें केवल साक्षर बनाना है। हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को महिलाओं की पहुंच के अंदर लाना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों महिलाओं की डॉक्टरी चिकित्सा के अभाव में प्रसव के दौरान प्रति वर्ष मौतें न हों, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, हमें सम्पत्ति कानूनों में परिवर्तन लाना है ताकि महिला बराबरी एक वास्तविकता बन सके। जबकि ये परिवर्तन आवश्यक हैं, उनका महत्व कुछ नहीं होगा यदि हम समाज के तौर पर अपनी महिलाओं को गरिमा, स्वतंत्रता और अवसरों को जो सही रूप से उनके हैं, इनसे वंचित रखेंगे क्योंकि जब महिलाएं प्रगति करती है तो पूरे समाज को लाभ मिलता है और आने वाली पीढ़ियों की जीवन की शुरूआत बेहतर होती है।

## लीक से हटकर कार्य

दहेज की सामाजिक कुरीति को मिटाने के लिए, विशेषकर, जो निर्धन परिवारों में व्याप्त है, झारखण्ड के पलामू क्षेत्र में मुस्लिम परिवार अपने बेटों के विवाह के दौरान ली गई दहेज राशि लौटा रहे हैं। एक वर्ष से अधिक समय से लातेहर और पलामू जिलों के लगभग 800 परिवारों ने दुल्हन के परिवारों को 6 करोड़ रूपयों की राशि लौटाई है। 'मौलवी' ने भी ऐसे 'निकाह' न कराने का प्रण किया है जहां किसी तरह के दहेज का लेन-देन होता है। इस समय विवाह बिना धन दिए आयोजित हो रहे हैं।

## 'बच्चे के देखभाल के लिए छुट्टी की समीक्षा' पर परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु लिए बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी (सी.सी.एल.) पर 3 मार्च, 2017 को एक परामर्श सत्र आयोजित किया ताकि बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी के बारे में लिंग-तटस्थ दृष्टिकोण को इस धारणा के आधार पर अपनाया जा सके कि इसका विस्तार दोनों मां-बाप तक किया जाए ताकि बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारियों को प्रत्येक बांट सकें। इस परामर्श सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने की।

विभिन्न मंत्रालयों - डी.ओ.पी.टी., मंत्रिमंडल सचिवालय, वित्त मंत्रालय, विधि और न्याय, सी.ए.जी., स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रेलवे, दूर संचार के प्रतिनिधियों और विधि विशेषज्ञों और सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस परामर्श सत्र में भाग लिया।

*परामर्श सत्र के दौरान (बाएं से) राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता ललिता कुमारमंगलम, सदस्य सचिव डॉ. सतबीर बेदी, संयुक्त सचिव वंदना गुप्ता*

इसमें इन निम्न पहलुओं पर चर्चा हुई ताकि इन विषयों पर निष्कर्ष निकाला जा सके : (1) क्या बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी दोनों मां-बाप पर आती है? (2) क्या बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी पुरूष कर्मचारियों को भी उपलब्ध की जानी चाहिए? (3) यदि हां, तो इसके लिए कार्यनीति परिभाषित की जाए और प्रत्येक मां-बाप के लिए बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी की अवधि निर्धारित की जाए। (4) क्या बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी महिलाओं के साथ पुरूषों को भी दी जानी चाहिए अथवा वर्तमान ढ़ांचे को दोनों मां-बाप में बराबरी पर लागू की जानी चाहिए?

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने पारंपरिक महिला भूमिका पर चर्चा की और बताया कि आज भी महिला न्याय संगत प्रावधान का विचार किस तरह भारतीय सामाजिक वातावरण की प्रतिक्रिया है। नार्वेजियन देशों के साथ तुलना करते समय उन्होंने कहा कि उन देशों में इस तरह की छुट्टी दंपत्तियों में गैर-हस्तांतरणीय है। उन्होंने कहा कि पुरूष और महिला के बीच काम का बराबरी का बंटवारा बच्चे की देखभाल के काम में दोनों मां-बाप को शामिल करता है।

निम्नलिखित संस्तुतियों के साथ चर्चा समाप्त हुई : (1) बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी दोनों मां-बाप पर बराबरी से लागू होनी चाहिए। (2) 2 वर्ष यानि 730 दिनों की वर्तमान अवस्था मां-बाप में बांटी जानी चाहिए। (3) इस दावेदारी का गैर-सरकारी और रोजगार के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए। (4) क्रेच सुविधा कार्यस्थल में उपलब्ध की जानी चाहिए। (5) निर्धारित अवधि हेतु छुट्टी पुरूष कर्मचारियों के लिए अनिवार्य की जाए।

## महिला किसानों के अधिकारों को सुरक्षित रखना

"महिला अधिकारों के अधिकारों को सुरक्षित रखना : कार्यवाही हेतु एक रोडमैप का विकास" पर एक परामर्श सत्र महिला किसान अधिकार मंच द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग और संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ सहयोग से गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इसमें निम्न विषयों पर चर्चा हुई : (1) महिला किसानों को मान्यता; (2) भूमि अधिकारों की दावेदारी; (3) विस्थापन नीति; (4) नवीनतम टेक्नौलॉजी का प्रशिक्षण; और (5) प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग।

परामर्श सत्र में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

## कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

दो विधि जागरूकता कार्यक्रम क्रमशः 8 से 11 मार्च, 2017 को त्रिपुरा में जिला खोवाई और दमचेरा में आयोजित किए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 25 फरवरी और 20 मार्च, 2017 को 15 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

## जन सुनवाई

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग ने 1 और 2 मार्च, 2017 को मुम्बई पुलिस क्लब में महिला सुनवाई आयोजित की। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य आलोक रावत ने सुश्री गीता राठी, जे.टी.ई. (विधि), के साथ डिस्ट्रिक विधि सेवा प्राधिकार और पुलिस अधिकारियों के सहयोग से जन सुनवाई आयोजित की। सुनवाई में 112 मामले लिए गए; जिसमें से 98 मामलों का निपटान कर दिया गया और शेष मामलों के लिए पुलिस अधिकारियों को उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए कहा गया।

❖ सदस्या सुषमा साहू ने परामर्शदाता वरूण छाबड़ा और रंजनी रमन, जे.टी.ई., के साथ 1 से 2 मार्च, 2017 को हरियाणा के

*सदस्या सुषमा साहू एक शिकायतकर्ता से बात करती हुई*

❖ सदस्या रेखा शर्मा परामर्शदाता प्रवीण सिंह के साथ एक 2-दिवसीय महिला जन सुनवाई में उपस्थित होने के लिए बैंगलूरू गई। जन सुनवाई में 95 मामले लिए गए; जिसमें से 85 मामलों का निपटान कर दिया गया। शेष 5 मामलों में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के निदेश दिए गए। बाद में सदस्य कर्णाटक के पुलिस महानिदेशक से मिले और उन कुछ मामलों पर चर्चा की जिनमें उनके हस्तक्षेप और निदेशों की आवश्यकता थी।

*जन सुनवाई में, आलोक रावत (मध्य में), सुश्री गीता राठी उनके बाएं ओर हैं। (नीचे) शिकायतकर्ताओं का दृश्य*

फरीदाबाद में महिला जन सुनवाई आयोजित की। जनसुनवाई में 90 मामले लिए गए; जिसमें से 70 मामलों का निपटान कर दिया गया।

*जन सुनवाई में (बाएं से) डी.सी.पी. अपराध शाखा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पूर्वी, सदस्या रेखा शर्मा और प्रवीण सिंह*

## महत्वपूर्ण निर्णय

- उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि याचिका दायर करने से पहले आठ से दस वर्ष पहले हुए कथित "निर्दयता की कुछ घटनाओं को ऐसी घटनाओं के होने के दस वर्ष अथवा लगभग इतने समय बाद तलाक मांगने के लिए कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं दिया जा सकता है।" कोई भी विवाह तब तक ही भंग किया जा सकता है जब ऐसी घटनाएं बार-बार होती हों। परिवार न्यायालय द्वारा पति को दिया गया तलाक आदेश खारिज करते हुए शीर्ष न्यायालय ने वैवाहिक अधिकारों को वापस दिलाने के पत्नी के अनुरोध को इजाजत दी।
- एक दिल्ली कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि किसी भी विधवा को उसके पति द्वारा उसके लिए खरीदी गई संपत्ति को भोग करने का अधिकार है और उसकी पत्नी और दामाद उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने दंपत्ति को छः महीने के अंदर घर खाली करने के लिए कहा। चूंकि पुत्री और दामाद का घर में केवल 'अनुमति अधिकार' था, उन्हें विधवा को 2014 में मुकदमा दायर करने के समय से 10,000 रुपए देने के लिए कहा गया और उतनी ही राशि निर्णय देने की तिथि से घर के कब्जे को देने के समय तक ब्याज सहित देने को कहा गया।

## सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या रेखा शर्मा हरियाणा पुलिस द्वारा पंचकुला में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित हुई और महिला संवेदनशीलता पर भाषण दिया। ● श्रीमती शर्मा मिजोरम केन्द्रीय कारागार में महिला कैदियों की स्थिति की जांच करने के लिए वहां गई। उन्होंने पाया कि कैदियों को दी जाने वाली सुविधाएं बहुत अपर्याप्त हैं और सिफारिश की कि विचाराधीन कैदियों को पृथक कमरे और उचित मेडिकल सुविधाएं, कौशल प्रशिक्षण और बच्चों के लिए विशेष खाना दिया जाए। बाद में, वह महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ गई और पाया कि पुलिस बल में महिला पुलिस की संख्या केवल 3 प्रतिशत है। ● सदस्या मिजोरम राज्य महिला आयोग भी गई और अध्यक्षा, सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलीं। बाद में, वह महिला संरक्षण गृह और स्वाधार गृह गई। ● सदस्या पुलिस महानिदेशक और मिजोरम के मुख्य सचिव से मिली और राज्य में *पोस्को* के बढ़ते मामलों और महिला अधिकारियों की निम्न प्रतिशतता और उन्हें दी जा रही अपर्याप्त सुविधाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य सचिव के साथ मुलाकात में सदस्या ने जेलों की महिला कैदियों को होने वाली समस्याओं, संरक्षण गृहों और स्वाधार गृह पर चर्चा की। ● वह मिजोरम के मुख्यमंत्री से भी मिली और जेल के कैदियों, महिला पुलिस अधिकारियों को होने वाली समस्याओं और राजनीति के क्षेत्र में आने हेतु महिलाओं के लिए अवसरों की कमी पर चर्चा की। ● सदस्या ने 20 फरवरी और 21 मार्च, 2017 के बीच 8 सुनवाई करी और सुनवाई के दौरान 20 नए मामले लिए गए।

❖ सदस्या सुषमा साहू ने एन.सी.पी.सी.आर. सदस्य, यशवंत जैन, जे.टी.ई. सुखम गिरन और एन.सी.पी.सी.आर. परामर्शदाता, विनय सिंह के साथ मध्य प्रदेश के सिद्धि जिला में 3 महीने की अवधि में स्कूल जाने वाली 6 लड़कियों द्वारा की गई आत्महत्या की घटनाओं से संबंधित मीडिया रिपोर्ट की जांच की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और न लड़कियों को कोई अवसाद था। ● सदस्या बिहार में, बी.आई.ए. पटना और आर्मी कैंट, दानापुर में 6 से 8 मार्च, 2017 में हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोहों में उपस्थित हुई। ● श्रीमती साहू महिला उद्यमशीलता और कौशल विकास पर बिहार के सहरसा में हुए एक दिवसीय कार्यशाला में भी उपस्थित हुई।

## विदेशों से समाचार

- एक महत्वपूर्ण खबर में, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के विवाह को विनियमित करने वाला एक विधेयक पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन दिए जाने के बाद कानून बन गया। अब पाकिस्तान के हिंदुओं को विवाह विनियमित करने के लिए एक विशेष पर्सनल लॉ मिल गया है जिससे हिंदु महिलाओं को अपने विवाह का लिखित प्रमाण मिलने में सहायता मिलेगी जो पासपोर्ट और अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन करने में जरूरी है। विधेयक में हिंदू विवाह को पंजीकृत करने, विवाह को समझौता देने की शर्तों और विवाह को भंग करने की प्रक्रिया के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की गई है।
- ब्रिटेन कथित रेप पीड़ितों को अपने साक्ष्य पूर्व-रिकार्ड करने की अनुमति देने और उन्हें खुले कोर्ट में जिरह से मुक्ति देने, जिससे 'शीघ्र अपराध बोध' ऊँचे स्तर पर बढ़ेगा, के लिए अपने कानूनों में परिवर्तन ला रहा है। ब्रिटेन के न्यायाधीश सचिव ने कहा, 'यह पीड़िता के लिए आघात के स्तर को कम करेगा और उन्हें अपनी बात कहने का आत्मविश्वास देगा', नियमों के अनुसार पीड़िता कोर्ट में कमरे में सबूत दे सकेगी जहां यह कम डर वाला होगा और जहां न्यायाधीश द्वारा निर्धारित तर्क पर आधारित नियम होंगे। न्यायाधीश ऐसे बयान देने के दौरान जिरह की अवधि की सीमा कम कर सकेंगे ताकि पीड़िताओं को अनेक दिनों तक साक्ष्य देने से बचाया जा सके और वे प्रश्न निर्धारित किए जाएंगे जो पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो अनुमत देय नहीं है, उन्हें टेप से निकाला जा सकता है।

## क्या आप जानते हैं?

2016 के लिए महिलाओं की मॉनस्टर सैलरी इंडेक्स के अनुसार भारत में महिलाएं पुरूषों की तुलना में 25 प्रतिशत कम कमाती हैं जो यह साबित करता है कि महिलाएं देश में वेतन निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण मापदंड बनी रह सकती हैं।

*अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :* **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110025 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।